

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 25.09.2021

आपरेशन हंट के तहत अभियुक्त मुस्तकीम गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा गुण्डा/ गैंगेस्टर के अभियोग में वांछित अपराधियों /NBW /पुरस्कार घोषित अपराधियों /जिला बदर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कोतवाली के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजघाट द्वारा व टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त मुस्तकीम अली पुत्र स्व0 मुस्तफा अली निवासी रहमतनगर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के विरुद्ध पूर्व में 3/4 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी थी। दिनांक 19.3.2021 को जिला बदर होने के बावजूद भी वह अपने घर पर निवास कर रहा था जो मा0 सक्षम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। अभियुक्त उपरोक्त को दिनांक 25.9.2021 को समय 02.10 बजे गिरफ्तार कर थाना राजघाट गोरखपुर पर मु0अ0सं0 239/2021 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त मुस्तकीम अली पुत्र स्व0 मुस्तफा अली निवासी रहमतनगर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान--

दिनांक 25.09.2021 समय 02.10 AM बजे, गिरफ्तारी का स्थान – रहमतनगर थाना राजघाट गोरखपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

- 1-239/2021 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर ।
- 2- 358/1994 धारा 147,352,452,307,506,379 भादवि व 3(1)5 एससी/एसटी एक्ट ।
- 3- 612/96 धारा 307,452,504,506 भादवि ।
- 4-27/97 धारा 323,504 भादवि
- 5-477/97 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट ।
- 6-198/98 धारा 3/4गुण्डा एक्ट ।
- 7-186/99 धारा 110 द0प्र0स0 ।
- 8-620/2000 धारा 3/4गुण्डा एक्ट
- 9-539/2000 धारा 323,504 भादवि
- 10-1138/2009 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट ।
- 11-91/14 110 जी ।

गिरफ्तारी टीम में सम्मिलित पुलिस अधि0/कर्मचारी-

- 1-प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सरोज थाना राजघाट गोरखपुर ।
- 2- उ0नि0 अनूप कुमार मिश्र थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 3- कां0 दीपक यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 4- कां0 अरविन्द यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 5- कां0 उपेन्द्र मौर्या थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।